

मुनादी

सर्वसाधारण को निर्देश दिये जाते है कि नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति/संस्था/सोसायटी इत्यादि द्वारा तिरंगा लाईट व अन्य खम्बों पर फलैक्स बोर्ड लगाना सख्त मना है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/सोसायटी इत्यादि द्वारा बिना नगरपालिका की अनुमति के तिरंगा लाईट व अन्य खम्बों पर फलैक्स बोर्ड लगाते हुए पाये जाते है, तो उस व्यक्ति/संस्था/सोसायटी पर जुर्माना लगाया जायेगा। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/सोसायटी इत्यादि विज्ञापन हेतू प्रचार करना चाहते है तो केवल मान्यता प्राप्त साईट पर नगरपालिका कलानौर से स्वीकृति उपरान्त फीस भरकर प्रचार कर सकते है। सूचित रहें



सचिव,

नगरपालिका कलानौर।

